



क्रमांक RSKS/Acd./8-28/Corona v./2019-20

No

दिनांक 17/03/2020

Date.....

अधिसूचना


विषय:- कोरोना रोगाणु से बचाव हेतु आवश्यक सलाह।

संस्थान के सभी परिसरों तथा संस्थान से संबद्ध सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं गुरु-शिष्यों, अध्यापकों, शिक्षकों, कर्मचारियों इत्यादि को सूचित किया जाता है कि कोरोना जीवाणु का दुष्प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है जिसे नियंत्रण में लाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने बचाव के कारणों से अवगत कराया है, तथा कुछ निर्देश दिये हैं। सभी परिसरों तथा संबद्ध महाविद्यालयों एवं आदर्श महाविद्यालयों को इन निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है। तथा विशेष बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है जिससे कोरोना जीवाणु से बचा जा सकता है, वह निम्नलिखित है:-

1. परिसरों तथा संबद्ध आदर्श महाविद्यालयों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।
2. छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, अध्यापकों, कर्मचारियों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए।
3. बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों तब भी अपने हाथों को अल्कोहल-आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें।
4. छींकते या खांसते समय अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें तथा टिशू को तुरंत बाद किसी बंद डब्बे में फेंक दें।
5. भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें तथा किसी से बात करते समय कम से कम 1 मीटर (3 फीट) की दूरी बनाए रखें।
6. कार्यशालाएँ तथा गोष्ठियाँ कुछ समय के लिए स्थगित की जाए।
7. बुखार, खांसी, और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें। एवं पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही परिसर/विद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश करें।
8. यदि किसी में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24*7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें।

छात्रों को जागरुक करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन अवश्य किया जाए। यह सूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी की गई है।

भवदीय,


(डॉ. देवानन्द शुक्ल)
उप-निदेशक (शैक्ष.)